भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1648

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक एफडीआई रैंकिंग में भारत का उदय

1648. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में दी गई जानकारी के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रैंकिंग में भारत के उत्थान में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों और राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि को आकर्षित किया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्तकर्ताओं में भारत की रैंकिंग वर्ष 2023 के 16वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2024 में 15वें स्थान पर पहुंच गई है।

सरकार सतत आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें बदलाव करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बने रहना सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2014 और 2019 के बीच, महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाना और निर्माण, नागर विमानन तथा सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए उदारीकृत नीतियां शामिल हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक किए गए उल्लेखनीय उपायों में कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण और बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में स्वतःअनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति प्रदान करना शामिल है।

भारत सरकार, विनियामक बाधाओं को हटाकर, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए, अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देते हुए कारोबारी माहौल में सुधार करने का निरंतर प्रयास करती है।

भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की गई है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ संभावित निवेशकों को, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक व्यवसाय ईकोसिस्टम के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स कार्य-निष्पादन के उदाहरणों से अवगत कराया जा सके। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के परिणामस्वरूप, देशभर में 670 अधिनियमों के तहत 42,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से सरकार ने 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है।

सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, पीएलआई स्कीम, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक और परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी) जैसे नीतिगत कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से भी औद्योगिक विकास के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान करती है।

स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों हेतु कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, वर्ष 2024 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है, ताकि एंजेल कर को समाप्त किया जा सके और विदेशी कंपनी के आय पर लगने वाली आयकर दर को कम किया जा सके। सितंबर 2025 में शुरू किया गया जीएसटी सुधार, भारत की कराधान प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि युवाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। ये सुधार, कर-संरचना को सुव्यस्थित करते हैं, दरों को कम करते हैं और मौजूदा कमियों में सुधार करते हैं ताकि उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और किफायती रूप से जीवनयापन को प्रोत्साहन मिले। शिक्षा, ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, फुटवियर, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र सहित अधिक युवा भागीदारी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई है, ताकि नवप्रयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा सके।
इसके अलावा, चमड़ा, फुटवियर, कागज, वस्त्र, हस्तशिल्प, खिलौने, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम दर वाली सरल जीएसटी संरचना से मौजूदा व्यवसाय को सहायता मिलने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्राप्त होने और व्यापारियों के लिए अनुपालन सरल होने की संभावना है। कई वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत और परिवहन एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में दर को युक्तिसंगत करके, इन

सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, व्यापारियों के लिए अनुपालन को सरल बनाना तथा भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों एवं राज्यों का विवरण क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एफडीआई इक्विटी में वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों का विवरण

राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2023-24	2024-25	23- 24 से 24-25 में बढ़ोतरी	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1	सेवा क्षेत्र (वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय /बिज़नेस, आउटसोर्सिंग, आर एंड डी, कुरियर, टेक. टेस्टिंग और एनेलिसिस, अन्य)	6,640.24	9,347.25	2,707.01	41%
2	व्यापार	3,864.88	4,175.54	310.66	8%
3	गैर- परंपरागत ऊर्जा	3,764.06	4,011.86	247.80	7%
4	इलेक्ट्रॉनिक्स	695.74	2,043.04	1,347.30	194%
5	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	613.44	1,812.56	1,199.12	195%
6	ऑटोमोबाइल उद्योग	1,524.22	1,586.31	62.09	4%
7	अस्पताल और डायग्नोस्टिक केंद्र	1,530.06	1,558.83	28.77	2%
8	वायु परिवहन (हवाई माल ढुलाई सहित)	97.38	1,349.25	1,251.87	1286%
9	होटल और पर्यटन	511.1	1,307.48	796.38	156%
10	परामर्शदात्री सेवाएं	734.65	1,061.03	326.38	44%
11	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	843.97	1,060.33	216.36	26%
12	मेटेलर्जिकल इंडस्ट्रीज	286.21	950.99	664.78	232%
13	दूरसंचार	281.66	746.2	464.54	165%
14	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	482.83	626.99	144.16	30%

15	विविध उद्योग	462.25	539.78	77.53	17%
16	निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं	254.65	528.55	273.90	108%
17	औद्योगिक मशीनरी	406.52	509.65	103.13	25%
18	शिक्षा	344.01	468.24	124.23	36%
19	खुदरा व्यापार	165.51	204.76	39.25	24%
20	किण्वन उद्योग	107	191.79	84.79	79%
21	हीरा, सोना गहने	37.97	157.7	119.73	315%
22	साबुन, प्रसाधन सामग्री और शौचालय संबंधी सामग्री	75.16	92.5	17.34	23%
23	वैज्ञानिक उपकरण	70.54	85.53	14.99	21%
24	अर्थ-मूविंग मशीनरी	22.62	69.37	46.75	207%
25	सब्ज़ी तेल और वनस्पति	59.35	62.21	2.86	5%
26	चाय और कॉफी (प्रसंस्करण और भंडारण कॉफी और रबड़)	10.28	38.84	28.56	278%
27	सेरेमिक्स	35.25	35.49	0.24	1%
28	टिंबर उत्पाद	8.89	30.59	21.70	244%
29	कांच	18.05	23.66	5.61	31%
30	कृषि संबंधी मशीनें	2.22	17.08	14.86	669%
31	चीनी	1.65	2.13	0.48	29%
32	बॉयलर और भाप उत्पन्न करने वाले संयंत्र	0.06	1.19	1.13	1883%

नोट: कुल एफडीआई अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह, गैर-निगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं। क्षेत्र / राज्य / देश-वार विवरण एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए ही रखे जाते हैं।

अनुबंध-II

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों का विवरण

राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2023- 24**	**2024- 25**	**23- 24 से 24-25 में बढ़ोतरी**	**(प्रतिशत वृद्धि)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	महाराष्ट्र	15,115.54	19,588.92	4,473.38	- 30%
2	कर्नाटक	6,570.62	6,618.57	47.95	- 1%
3	तमिलनाडु	2,436.33	3,681.36	1,245.03	- 51%
4	हरियाणा	1,907.79	3,147.35	1,239.56	- 65%
5	उत्तर प्रदेश	333.61	435.83	102.22	- 31%
6	केरल	196.7	396.5	199.80	- 102%
7	राजस्थान	265.43	374.48	109.05	- 41%
8	पश्चिम बंगाल	181.49	298.38	116.89	- 64%
9	आंध्र प्रदेश	92.13	233.14	141.01	- 153%
10	हिमाचल प्रदेश	55.55	112.56	57.01	- 103%
11	छत्तीसगढ	50.5	81.27	30.77	- 61%
12	मध्य प्रदेश	23.59	59.61	36.02	- 153%
13	पुदुच्चेरी	4.76	7.92	3.16	- 66%
14	असम	0.23	2.88	2.65	-1152%
15	बिहार	0.16	1.19	1.03	- 644%
16	त्रिपुरा	0.19	0.47	0.28	- 147%
17	जम्मू और कश्मीर	0.003	0.25	0.25	- 8233%
18	मेघालय	0.003	0.11	0.11	- 3567%

नोट: कुल एफडीआई अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह, गैर-निगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं। क्षेत्र / राज्य / देश-वार विवरण एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए ही रखे जाते हैं।